न्यायालय– द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुक्षी जिला धार (म.प्र.)
(पीठासीन न्यायाधीश : अजय रामावत)

Registration No. SC/09/2020
Filing No. SC/872/2020
CNR No. MP1109-001086-2020
Filing Date : 10-08-2020

मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा
थाना प्रभारी, पुलिस थाना टाण्डा,
जिला–धार (म.प्र.)

................**अभियोजन**

।। वि रू द्ध ।।

1. मदन पिता मांगीलाल बघेल,
जाति भील, आयु 22 वर्ष,
निवासी–ग्राम डोबनी, तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.)
2. करमसिंह पिता दशरिया अनारे,
जाति भील, आयु 28 वर्ष,
निवासी–ग्राम डोबनी, तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.)

.............**अभियुक्तगण**

पुलिस थाना टाण्डा, जिला–धार (म.प्र.) के अपराध क्रमांक 135/2020 अंतर्गत धारा 363, 366–ए, 376, 376 (2)(एन), 109 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4, 5l/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से उद्भूत प्रकरण।

अभियोजन द्वारा – श्री श्याम रावत ए.डी.पी.ओ.।
अभियुक्तगण द्वारा – श्री अकरम खान अधिवक्ता।

।। नि र्ण य ।।
(आज दिनांक 12 नवम्बर 2021 को घोषित)

01– अभियुक्त मदन के विरूद्ध धारा 363, 366–ए, 376 (1), 376(2)(एन) भा.दं.सं. तथा धारा 3/4 एवं 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 05.02.2020 को दिन के लगभग 17:00 बजे पुलिस थाना टाण्डा क्षेत्राधिकार अंतर्गत ग्राम काठी में फरियादिया/अभियोक्त्री के घर के पास स्थित हेडपंप के पास से फरियादीया/अभियोक्त्री को उसके विधिपूर्ण संरक्षक माता/पिता अथवा संरक्षक की सहमति के बिना ले जाकर/बहकाकर ले जाकर व्यपहरण कारित किया, 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क अभियोक्त्री को उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ विवाह करने के लिये विवश करने के आशय से अथवा अयुक्त संभोग करने के आशय से व्यपहरण कारित किया तथा अभियोक्त्री को गुजरात के आठकोट में झोपड़ी में रखकर दिनांक 05.02.2020 को एवं तत्पश्चात् उक्त दिनांक से दिनांक 16.05.2020 तक

अभियोक्त्री की इच्छा के विरूद्ध उसके साथ एक से अधिक अनेक बार बलात्संग कारित किया तथा 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क अभियोक्त्री के साथ एक से अधिक बार बलपूर्वक संभोग कर ''प्रवेशन लैंगिक हमला'' तथा ''गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला'' कारित किया। अभियुक्त करमसिंह के विरूद्ध धारा 363, 366–ए सहपठित धारा 109 भा.दं.सं. तथा धारा 16 सहपठित धारा 17 एवं 18 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त मदन के साथ मिलकर 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क अभियोक्त्री को उसके विधिपूर्ण संरक्षक माता/पिता अथवा संरक्षक की सहमति के बिना ले जाने/बहकाकर ले जाने तथा सहअभियुक्त मदन के साथ अभियोक्त्री को विवाह करने के लिये विवश करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुये कि वह अयुक्त संभोग के लिये विवश की जायेगी अभियुक्त मदन को अभियोक्त्री के व्यपहरण में साशय सहयोग कर उक्त अपराध का दुष्प्रेरण कारित किया तथा 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क अभियोक्त्री के साथ आरोपी मदन के द्वारा बलात्संग करने में तथा ''प्रवेशन लैंगिक हमला'' एवं ''गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला'' का अपराध कारित करने में इस प्रकार से सहयोग करके उक्त अपराध का दुष्प्रेरण कारित किया।

02– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 33(7) तथा माननीय न्यायदृष्टांत **<u>निपुण सक्सेना विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया, (2019) 2 एस.सी. सी. 703</u>** में दिये गये निर्देशों के पालन में अभियोक्त्री/पीड़िता की पहचान को गोपनीय बनाये रखने के उद्देश्य से उसके माता एवं काका के नाम का उल्लेख निर्णय में नहीं किया जा रहा है। निर्णय के आगे के चरणों में फरियादिया/पीड़िता को ''अभियोक्त्री'', पीड़िता की माता को ''अभियोक्त्री की माता'', तथा पीड़िता के काका को ''अभियोक्त्री के काका'' के नाम से संबोधित किया जाएगा।

03– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.07.2020 को अभियोक्त्री/पीड़िता ने पुलिस थाना टाण्डा पर उपस्थित होकर अभियुक्तगण के विरूद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि वह ग्राम कांठी खाण्डापुरा में रहती है तथा कक्षा नौवी में पढ़ाई करती है। उसकी जन्म दिनांक 02.04.2003 है। आज से करीब 05 माह पूर्व दिनांक 05.02.2020 को वे सभी परिवार वाले घर पर थे। शाम के करीब 05 बजे वह घर के पास थोड़ी दूरी पर हेडपंप पर पानी भरने के लिये गई थी तभी मदन पिता मांगीलाल बघेल तथा उसका दोस्त करमसिंह पिता दशरिया बघेल दोनों मोटरसायकल से आये। मोटरसायकल करमसिंह चला रहा था। उन्होंने मोटरसायकल हेडपंप के पास लाकर खड़ी कर दी तभी मदन मोटरसायकल से उतरकर आया और उसे जबरदस्ती शादी का झांसा देकर उसका सीधा हाथ पकड़कर मोटरसायकल पर बैठा दिया और उसे वे उसे सीधे राजगढ़ लेकर गये। करमसिंह नें उन्हें राजगढ़ में छोड़ दिया तथा राजगढ़ से मदन उसे तूफान गाड़ी में बैठाकर गुजरात के आठकोट गांव में लेकर गया। इतने दिन मदन नें वही आठकोट गांव में उसे अपनें साथ झोपड़ी में रखा और उसके साथ एक से अधिक बार उसकी मर्जी के विरूद्ध खोटा काम (बलात्कार) किया। आज से 20 दिन पहले मौका मिलते ही वह आठकोट गांव (गुजरात) से ट्रक में बैठकर अपने घर ग्राम काठी आ गई बाद में परिवार से चर्चा करके आज वह अपनी मां एवं काका को साथ लेकर रिपोर्ट करने के लिये आई है। रिपोर्ट करती हूं कार्यवाही की जावे।

04– अभियोक्त्री/पीड़िता की सूचना पर पुलिस थाना टाण्डा पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्र.135/2020 अंतर्गत धारा 363, 366–ए, 376, 376 (2)(एन), 109 भा.दं.सं. तथा धारा 3/4, 5 (एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पंजीबद्ध

करके अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान पीड़िता तथा अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, घटना स्थल का नक्षा मौका बनाया गया, अभियोक्त्री तथा आरोपी मदन का मेडिकल परीक्षण करवाया गया तथा पीड़िता के जप्तशुदा आर्टिकल अंडरवियर, सीलबंद पैकेट में वेजाईनल स्लाईड, प्यूबिक हेयर, जप्त कर तथा अभियुक्त मदन के आर्टिकल सीलबंद पैकेट में अंडरवियर, प्यूबिक हेयर, सीमन स्लाईड तथा एक ई.डी.टी.ए. वायल में 2.5 एम.एल. रक्त नमूना डी.एन.ए. टेस्ट हेतु जप्त कर जप्तशुदा आर्टिकल जांच हेतु क्षेत्रीय न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल भेजे गये। आरोपीगण से मेमोरेण्डम की सूचना प्राप्त की गई, अपराध में प्रयुक्त वाहन मोटरसायकल क्रमांक एम.पी. 13 एम.डी. 4885 को जप्त किया गया, आरोपीगण को गिरप्तार किया गया। आवश्यक अन्य अनुसंधान के उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के संबंध में ही यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

05— न्यायालय द्वारा अभियुक्त मदन को धारा 363, 366—ए, 376(1), 376 (2)(एन) भा.दं.सं. तथा धारा 3/4, 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप सुनाये जाने पर तथा अभियुक्त करमसिंह को धारा 363, 366—ए सहपठित धारा 109 तथा धारा 17 व 18 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से आरोपित किये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया है तथा विचारण करने की मांग की है। अभियुक्तगण का धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष बताया है। अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

06— **<u>न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न है कि :—</u>**

(1) क्या अभियोक्त्री घटना के समय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ''बालक'' की श्रेणी में आती थी ?

(2) क्या घटना दिनांक 05.02.2020 को समय दिन के 17:00 बजे अभियुक्त मदन ने पुलिस थाना टाण्डा क्षेत्राधिकार अंतर्गत ग्राम काठी स्थित अभियोक्त्री/पीड़िता के घर के पास से अभियोक्त्री/पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना ले जाकर/बहकाकर ले जाकर व्यपहरण कारित किया था ?

(3) क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त मदन ने 18 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री/पीड़िता को उसकी इच्छा के विरूद्ध उसे विवाह करने के लिये विवश करने के आशय से या अयुक्त संभोग करने के आशय से व्यपहरण कारित किया था ?

(4) क्या घटना दिनांक 05.02.2020 को अभियुक्त मदन ने गुजरात के ग्राम आठकोट स्थित झोपड़ी में अभियोक्त्री/पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध उसकी सहमति के बिना बलपूर्वक मैथुन करके एक से अधिक बार बलात्संग कारित किया था ?

(5) क्या घटना दिनांक 05.02.2020 को एवं उक्त दिनांक से 16.05.2020 के मध्य अभियुक्त मदन ने गुजरात के ग्राम आठकोट स्थित झोपड़ी में अभियोक्त्री/पीड़िता के साथ एक से अधिक अनेक बार उसकी इच्छा के

विरूद्ध उसकी सहमति के बिना बलपूर्वक मैथुन करके एक से अधिक बार बलात्संग कारित किया था ?

(6) क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त मदन ने 18 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री/पीड़िता के साथ आठकोट (गुजरात) स्थित झोपड़ी में बलात्संग कर ''प्रवेशन लैंगिक हमला'' कारित किया था ?

(7) क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर तथा सुसंगत दिनांकों के मध्य अभियुक्त मदन ने 18 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री/पीड़िता के साथ आठकोट (गुजरात) स्थित झोपड़ी में एक से अधिक बार बलात्संग कर ''गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला'' कारित किया था ?

(8) क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त करमसिंह ने 18 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री/पीड़िता का उसकी विधिपूर्ण संरक्षक माता–पिता की सहमति के बिना ले जाने/बहकाकर ले जाने में साशय अभियुक्त मदन का सहयोग कर उक्त अपराध का दुष्प्रेरण कारित किया था ?

(9) क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त करमसिंह ने 18 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री/पीड़िता को उसकी इच्छा के विरूद्ध विवाह करवाने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुये कि वह अयुक्त संभोग के लिये विवश की जायेगी, उसका व्यपहरण/अपहरण कारित किया था ?

(10) क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त करमसिंह ने षडयंत्रपूर्वक अभियुक्त मदन को अभियोक्त्री/पीड़िता के साथ बलात्संग करने में सहयोग करने के द्वारा उक्त अपराध का दुष्प्रेरण कारित किया था ?

(11) क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त करमसिंह ने षडयंत्रपूर्वक अभियुक्त मदन को अभियोक्त्री/पीड़िता पर ''गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला'' कारित करने में सहयोग करके उक्त अपराध का दुष्प्रेरण कारित किया था ?

(12) दोषसिद्धी एवं दण्ड, यदि कोई हो ?

–//सकारण निष्कर्ष//–

:: विचारणीय प्रश्न कमांक 1 ::

07– अभियोजन के मामले के अनुसार घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 17 वर्ष थी। अभियोक्त्री (अ.सा.01) ने अपने कथन के पैरा क्र.01 में यह बताया है कि उसकी आयु 18 वर्ष की है और पुलिस को रिपोर्ट लिखवाते समय उसने यही आयु बताई थी। अभियोक्त्री की माता (अ.सा.02) तथा अभियोक्त्री के काका (अ.सा.03) ने अपने–अपने कथन में पीड़िता की आयु के संबंध में कुछ भी नहीं बताया है। साक्षी उर्मिला रावत (अ.सा.12) विवेचनाकर्ता अधिकारी ने अनुसंधान के दौरान अभियोक्त्री की अंकसूची जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–04 के अनुसार जप्त किये जाने के साक्ष्य दी है।

08– साक्षी सज्जनसिंह (अ.सा.04) ने यह साक्ष्य प्रस्तुत की है कि वह शासकीय नवीन प्राथमिक विद्यालय खाडापुरा काठी में सन् 2007 से प्राथमिक शिक्षक/प्रधान अध्यापक के पद पर पदस्थ है। वह अपने साथ अभियोक्त्री की आयु के संबंध में असल स्कॉलर रजिस्टर साथ लेकर आया है। साक्षी ने स्कॉलर रजिस्टर के अनुसार अभियोक्त्री की जन्म

तिथि दिनांक 02.04.2003 होने की साक्ष्य प्रस्तुत की है। साक्षी ने अभियोक्त्री की आयु के संबंध में असल स्कॉलर रजिस्टर प्रदर्श पी–09 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी–09सी के ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर बताये है तथा पुलिस थाना टाण्डा की ओर से चाहे जाने पर अभियोक्त्री की आयु के संबंध में प्रदर्श पी–10 का प्रमाण पत्र दिया जाना बताया है तथा उक्त प्रमाण पत्र के ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर बताये हैं। बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी ने अपने कथन के पैरा क्र.02 में इन बातों को सही बताया है कि उसने अभियोक्त्री की जन्म दिनांक उसके माता–पिता के बताये अनुसार लिखी है तथा पीड़िता को भर्ती करवाते समय उसके जन्म से संबंधित दस्तावेज अस्पताल या आंगनबाड़ी का प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही उनकी शाला के अभिलेख पर मौजूद है। इस प्रकार इस साक्षी ने शाला के अभिलेख अनुसार अभियोक्त्री की जन्म दिनांक 02.04.2003 होना बताया है। किंतु उक्त जन्म तिथि लिखे जानें के आधार के संबंध में संदेहास्पद स्वरूप की साक्ष्य प्रस्तुत की है।

09– माननीय न्यायदृष्टांत **<u>आलामेलू तथा अन्य विरूद्ध राज्य (2011) 2 एस.सी.सी. 385</u>** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि शासकीय स्कूल के द्वारा जारी एवं प्रधान अध्यापक के द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट यद्यपि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत ग्राह्य है किंतु उक्त दस्तावेज अभियोक्त्री की आयु को साबित करने के लिये अधिक साक्ष्यिक मूल्य नहीं रखता है, जब तक कि वह सामग्री उपलब्ध न हो जिनके आधार पर आयु अभिलिखित की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि वह व्यक्ति जिसने प्रविष्टी की है या जिसके द्वारा जन्म तिथि बताई गई थी जब तक न्यायालय में परीक्षित नहीं किया जाता है तब तक स्कूल के अभिलेख में दर्ज जन्म तिथि का विशेष महत्व नहीं रह जाता है। इस संबंध में माननीय न्यायदृष्टांत **<u>रामसुरेश सिंह विरूद्ध प्रभात सिंह (2009) 6 एस.सी.सी. 681</u>** तथा **<u>जब्बरसिंह विरूद्ध दिनेशसिंह (2010) 3 एस.सी.सी.</u>** भी सादर अवलोकनीय है।

10– इस मामले में साक्षी सज्जनसिंह (अ.सा.04) ने अभियोक्त्री की आयु के संबंध में प्रदर्श पी–09 का स्कॉलर रजिस्टर बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी–09 सी अभिलेख पर है। साक्षी ने उक्त अभिलेख के आधार पर ही अभियोक्त्री के जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–10 का दिया जाना बतलाया है तथा उसके ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर बतलाये हैं। किंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने उक्त तिथि अभियोक्त्री के माता–पिता के बताये अनुसार लिखी थी। साक्षी ने इस बात को सही बतलाया है कि अभियोक्त्री के परिजनों के द्वारा अभियोक्त्री को भर्ती करवाते समय छात्रा के जन्म दिनांक से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये थे और न ही उनकी शाला में मौजूद है।

11– इस प्रकार अभियोक्त्री की माता (अ.सा.02) तथा अभियोक्त्री के काका (अ.सा.03) नें अभियोक्त्री की आयु के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। यद्यपि अभियोक्त्री (अ.सा.01) ने अपने कथन के पैरा क्र.01 में अपनी आयु 18 वर्ष की होना बतलाई है तथा पुलिस को रिपोर्ट लिखाते समय भी यही आयु बताने की साक्ष्य दी है। साक्षी सज्जनसिंह (अ.सा.04) ने अपने कथन में शाला के स्कॉलर रजिस्टर प्रदर्श पी–09 अनुसार अभियोक्त्री की जन्म तिथि दिनांक 02.04.2003 अंकित होना बतलाया है तथा उक्त अभिलेख के आधार पर प्रदर्श पी–10 का प्रमाण पत्र देना बतलाया है। किंतु इस संबंध में प्रतिपरीक्षण किये जाने पर इस बात को सही बताया है कि छात्रा/पीड़िता के परिजनों के द्वारा छात्रा को भर्ती करवाते समय उसका जन्म दिनांक से संबंधित दस्तावेज अस्पताल या आंगनबाड़ी का प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही उनके शाला के अभिलेख पर मौजूद है। इस प्रकार अभियोजन की

साक्ष्य में यह संदेहास्पद स्थिति है कि स्कालर रजिस्टर में पीड़िता की जन्म तिथि किस आधार पर लिखी गई थी। साक्षी डाक्टर संगीता पाटीदार (अ.सा.08) ने अपने कथन के पेरा क्रं.04 में मेडिकल/एक्सरे जांच के अनुसार पीड़िता की आयु 17–18 वर्ष होना बताई है तथा प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि एक्सरे अनुसार बताई गई आयु में दो से तीन साल अंतर आने की संभावना रहती है। इस प्रकार अभियोक्त्री की आयु के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य अस्पष्ट एवं संदेहास्पद स्वरूप की है। इसके साथ ही साक्षी संगीता पाटीदार (अ.सा.08) के कथनों के अनुसार अभियोक्त्री की आयु 17–18 वर्ष के लगभग की होना बताई है तथा प्रतिपरीक्षण में उक्त आयु में दो–तीन वर्ष का अंतर आने की संभावना भी होना बतलाई है। अभियोक्त्री स्वयं ने रिपोर्ट लिखवाते समय अपनी आयु 18 वर्ष लिखवाना बताया है। उपरोक्त परिस्थिति में यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम होकर वह लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में वर्णित ''बालक'' की श्रेणी में आती थी।

:: विचारणीय प्रश्न कमांक 02 लगायत 12 ::

12– उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्न एकदूसरे से संबंधित है। अतः साक्ष्य की पुनरावृत्ति को निवारित करने के लिये उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

13– अभियोक्त्री (अ.सा.01) ने अपने कथन में अभियोजन के मामले के विपरीत यह साक्ष्य प्रस्तुत की है कि वह मजदूरी करती है तथा मजदूरी करने के लिये गुजरात जाती है। करीब 08–10 माह पुरानी बात है वह गांव के लोगों के साथ परिवार वालों को बिना बताये मजदूरी करने के लिये गुजरात चली गई थी। जहां पर उनके गांव के लोग व आरोपीगण भी मजदूरी करने के लिये आये थे। वहां पर उसका और आरोपी का रूपयों के लेनदेन का विवाद हो गया था जिससे वह नाराज हो गई थी। उसने घर आकर झगड़े वाली बात घर पर बताई थी। फिर थाने पर झगड़े की रिपोर्ट लिखवाई थी।

14– अभियोक्त्री (अ.सा.01) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–01, नक्शामौका प्रदर्श पी–02, मेडिकल फॉर्म प्रदर्श पी–03 तथा जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–04 के ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बतलाये है। अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री को पक्षविरोधी घोषित कर घटना के संबंध में स्पष्ट सूचक प्रश्न किये जाने पर भी उसने इन बातों को गलत बतलाया है कि घटना दिनांक 05.02.2020 को वह उसके घर के बाहर हेडपंप पर पानी भरने के लिये गई थी तभी आरोपी मदन और करमसिंह मोटरसायकल लेकर आये थे और मदन ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे शादी का झांसा देते हुये मोटरसायकल पर बैठाकर राजगढ़ ले गया था। अभियोक्त्री ने इन बातों को भी गलत बतलाया है कि आरोपी करमसिंह वहां से वापस आ गया था तथा आरोपी मदन उसे राजगढ़ से तूफान गाड़ी में बैठाकर गुजरात के आठकोट गांव में ले गया था और वहां उसे एक झोपड़ी में रखा था तथा उसकी मर्जी के विरूद्ध कई बार उसके साथ बलात्कार किया था। अभियोक्त्री ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 तथा कथन प्रदर्श पी–05 एवं 06 में भी उक्त तथ्य लेखबद्ध करवाने से इंकार किया है। इस प्रकार अभियोक्त्री ने उसके साथ कोई घटना नहीं होना बतलाया है।

15– अभियोक्त्री की माता (अ.सा.02) एवं अभियोक्त्री का काका (अ.सा.03) ने भी अपने–अपने मुख्यपरीक्षण में घटना का इसी प्रकार का वृतान्त बतलाया है तथा पक्षविरोधी हुये हैं। उक्त दोनों साक्षीगण को भी अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न

किये गये हैं। किंतु अभियोजन की ओर से घटना से संबंधित स्पष्ट सूचक प्रश्न किये जाने पर भी उक्त दोनों साक्षीगण ने अभियोजन के मामले का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

16— साक्षी कमरू (अ.सा.06) भी पक्षविरोधी हुआ है तथा उसने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न किये जाने पर भी इस साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

17— साक्षी उर्मिला रावत (अ.सा.12) मामले में प्रथम सूचना लेखकर्ता तथा विवेचनाकर्ता अधिकारी है। इस साक्षी ने अपने कथन में पुलिस थाना कुक्षी पर उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते पुलिस अधीक्षक धार के निर्देशानुसार पुलिस थाना टाण्डा पर प्रदर्श पी—01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना, मेडिकल परीक्षण बाबत् फॉर्म प्रदर्श पी—08 की पूर्ति कर अभियोक्त्री को महिला आरक्षक क्रं.566 के साथ मेडिकल परीक्षण हेतु सिविल अस्पताल कुक्षी भिजवाना तथा अभियोक्त्री के बताये अनुसार उसके कथन लेखबद्ध करना तथा अभियोक्त्री की कथन की वीडियोग्राफी करवाकर उससे संबंधित सी.डी. जप्ती पंचनामा के अनुसार जप्त करने की साक्ष्य दी है। साक्षी उर्मिला रावत ने अनुसंधान के दौरान अभियोक्त्री की निशादेही से घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी—02 निर्मित करने, साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने तथा पीड़िता की आयु के संबंध में प्रदर्श पी—04 के जप्ती पंचनामे के अनुसार असल अंकसूची जप्त करने की साक्ष्य भी प्रस्तुत की है।

18— साक्षी उर्मिला रावत (अ.सा.12) ने अपने कथन में अनुसंधान के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने, आरोपी मदन से पूछताछ कर मेमोरेण्डम प्रदर्श पी—22 एवं आरोपी कमरसिंह से मेमोरेण्डम प्रदर्श पी—23 की सूचना प्राप्त करने, आरोपी करमसिंह से जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—24 के अनुसार मोटरसायकल जप्त करने, आरोपी मदन का मेडिकल फॉर्म प्रदर्श पी—16 भरकर सिविल अस्पताल टाण्डा में उसका मेडिकल परीक्षण करवाने तथा डी.एन.ए. जांच की कार्यवाही करने की साक्ष्य प्रस्तुत की है। साक्षी ने अनुसंधान के दौरान ही एक सीलबंद पैकेट में आरोपी मदन का सीमन स्लाईड, अंडरवियर, प्यूबिक हेयर एवं ब्लड सेंपल साक्षीगण के समक्ष जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—25 के अनुसार जप्त करके जप्तशुदा सामग्री को पुलिस अधीक्षक धार के पत्र प्रदर्श पी—26 के माध्यम से क्षेत्रीय विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाना जिसकी जमा रसीद प्रदर्श पी—27 होना तथा जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी—28 होने की साक्ष्य प्रस्तुत की है।

19— साक्षी गौरव (अ.सा.05) ने पीड़िता के पुलिस कथन के संबंध में वीडियो रिकार्डिंग करना तथा उसकी सी.डी. बनाकर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—11 के अनुसार उक्त सी.डी. जप्त करवाना बतलाया है। साक्षी मनोज कुमार (अ.सा.10) ने भी अपने कथन में प्रदर्श पी—11 के जप्ती पंचनामे अनुसार सी.डी. जप्त की जाना बतलाया है। किंतु साक्षी गौरव ने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने सी.डी. बनाने के संबंध में पुलिस को कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया था। साक्षी मनोज कुमार ने भी प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही बताया है कि उसने सी.डी. को चलाकर नहीं देखा था।

20— साक्षी राजकुमार (अ.सा.07) ने पुलिस थाना टाण्डा के अपराध क्रं. 135/2020 में घटनास्थल का नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी—12 निर्मित करने की साक्ष्य दी है।

21— साक्षी डॉ. संगीता पाटीदार (अ.सा.08) ने अपने कथन में दिनांक 15.07.2020 को सिविल अस्पताल सरदारपुर में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ रहते उक्त दिनांक को थाना टाण्डा से महिला आरक्षक क्रं.566 सुमित्रा के द्वारा अभियोक्त्री को प्रदर्श पी—13 के आवेदन पत्र के साथ लाये जाने पर पीड़िता एवं उसकी माता की सहमति लेने के पश्चात्

उसका मेडिकल परीक्षण करना बतलाया है। साक्षी ने मेडिकल परीक्षण यह पाया जाना बतलाया है कि पीड़िता के साथ बलात्संग के संबंध में कोई निश्चित अभिमत नहीं दिया जा सकता है। साक्षी ने चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्रदर्श पी–14 एवं एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–15 को प्रमाणित करते हुये उनके कमशः ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर बतलाये हैं।

22– साक्षी डॉ. नेहा (अ.सा.09) ने अपने कथन में दिनांक 23.03.2020 को सिविल अस्पताल टाण्डा पर मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ रहते उक्त दिनांक को आरक्षक कं. 257 गणपत के द्वारा पुलिस थाना टाण्डा से प्रदर्श पी–16 के आवेदन पत्र के साथ आरोपी मदन को शारीरिक परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसका परीक्षण करना बतलाया है। साक्षी ने मेडिकल परीक्षण करने पर आरोपी पूर्णरूप से स्वस्थ युवक होकर संभोग करने के लिये सक्षम पाया जाना बतलाया है तथा इस संबंध में परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी–17 को प्रमाणित करते हुये उसके ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बतलाये हैं। साक्षी ने उक्त दिनांक को ही आरोपी मदन का रक्त नमूना 2.5 एम.एल. ई.डी.टी.ए. ट्यूब में लेकर सीलपैक कर कोल्ड बॉक्स में सुरक्षित करके पुलिस को सुपुर्द करने की साक्ष्य भी प्रस्तुत की है। इस प्रकार इस साक्षी ने आरोपी मदन को स्वस्थ युवक एवं संभोग करने के लिये सक्षम पाया जाना तथा डी.एन.ए. परीक्षण हेतु उसका ब्लड सेंपल लेना बतलाया है।

23– साक्षी मंगलसिंह (अ.सा.11) ने अपने कथन में दिनांक 16.07.2020 को पुलिस थाना टाण्डा पर आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते थाने के अपराध कमांक 135/2020 से संबंधित पीड़िता का अंडरवियर, वेजाईनल स्लाईड, प्यूबिक हेयर एवं सील नमूना सीलबंद पैकेट में सिविल अस्पताल सरदारपुर से महिला आरक्षक कं.566 सुमित्रा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर उक्त आर्टिकल प्रदर्श पी–19 के जप्ती पंचनामे के अनुसार जप्त करना बतलाया है। बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने अपने कथन के पैरा कं.02 में इस बात को गलत बतलाया है कि उसने प्रदर्श पी–19 के अनुसार कोई सामग्री आरक्षक के पेश करने पर जप्त नहीं की थी।

24– यदि अभिलेख पर आई संपूर्ण साक्ष्य को एकसाथ देखा जावे तो अभियोक्त्री (अ.सा.01) ने अपने कथन में अपने गांव के लोगों के साथ परिवार को बिना बताये मजदूरी करने के लिये गुजरात चले जाने की साक्ष्य दी है तथा यह बताया है कि जहां वे मजदूरी कर रहे थे, वहां पर उनके गांव के आरोपीगण भी मजदूरी करने आये थे। वहां पर उसका और आरोपी का पैसों के लेन–देन का विवाद हो गया था जिससे वह नाराज हो गई थी। फिर घर आकर उसने झगड़े वाली बात घर पर बताई थी तथा फिर थाने पर जाकर झगड़े की रिपोर्ट लिखवाई थी। अभियोक्त्री/पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 के ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर बतलाये हैं। इस प्रकार स्वयं अभियोक्त्री/पीड़िता के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रश्नगत घटना से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित करके सूचक प्रश्न किये जाने पर भी अभियोक्त्री/पीड़िता ने अभियोजन के मामले में समर्थन नहीं किया है। अभियोजन की माता (अ.सा.02) एवं अभियोक्त्री के काका (अ.सा.03) ने भी अपने–अपने कथन में अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। उक्त दोनों साक्षीगण को भी अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित किया गया है एवं सूचक प्रश्न पूछे गये हैं। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त दोनों साक्षीगण ने भी अभियोजन के मामले का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है। साक्षी कमरू (अ.सा.06) भी पक्षविरोधी हुआ है तथा उसने भी पुलिस की कहानी का समर्थन नहीं किया है।

25– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 03, धारा 05, धारा 07 और धारा 09 के अधीन दण्डनीय अपराध के संबंध में अपराध करने के लिये अथवा दुष्प्रेरित करने के लिये अथवा अपराध करनें का प्रयत्न करनें के लिये अभियोजित व्यक्ति के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा 29 अपराध करनें की उपधारणा करना उपबंधित करती है। किंतु विधि अनुसार सर्वप्रथम अभियोजन को अपना मामला प्रारंभिक रूप से स्थापित करना होता है तथा अभियोजन की ओर से प्रारंभिक रूप से अपना मामला स्थापित कर देने पर ही विधि के अंतर्गत की जाने वाली उपधारणा लागू होती है। इस संबंध में माननीय न्यायदृष्टांत नवीन डी. बारिए विरूद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 सी.आर.एल.जे. 3393 अवलोकनीय है जिसमें यह मार्गदर्शन दिया गया है कि अभियोजन को प्राथमिक तथ्य साबित करना आवश्यक है तभी धारा 29 की उपधारणा लागू होती है। इस मामले में स्वयं अभियोक्त्री (अ.सा.01) नें अभियोजन के मामलें का समर्थन नहीं किया है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अभियोक्त्री की माता (अ.सा.02), अभियोक्त्री के काका (अ.सा.03) पक्षविरोधी हुये हैं तथा उन्होंने भी अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। साक्षी डां. संगीता पाटीदार (अ.सा.08) के अनुसार पीड़िता के साथ बलात्संग के संबंध में कोई निश्चित अभिमत नहीं दिया जा सकता था। वैज्ञानिक साक्ष्य डी.एन.ए. रिपोर्ट प्र.पी. 28 में यह निश्चायात्मक परिणाम दिये गये है कि पीड़िता के अंडर वियर से प्राप्त वाय–क्रोमोसोम एस.टी.आर. डी.एन.ए. प्राफाईल आरोपी मदन के श्रोत रक्त नमूना से प्राप्त वाय–क्रोमोसोम एस.टी.आर. डी.एन.ए. प्राफाईल से भिन्न है तथा पीड़िता की वेजाईनल स्लाईड से प्राप्त वाय–क्रोमोसोम एस.टी.आर. डी.एन.ए. प्राफाईल आरोपी मदन के श्रोत रक्त नमूना से प्राप्त वाय–क्रोमोसोम एस.टी.आर. डी.एन.ए. प्राफाईल उपस्थित नहीं है। इस प्रकार अभियोक्त्री/पीड़िता के श्रोत अंडरवियर एवं वेजाईनल स्लाईड का डी.एन.ए. परीक्षण किये जाने पर उसमें आरोपी मदन के वाय क्रोमोसोम डी.एन.ए. प्रोफाईल नहीं पाये गये हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक साक्ष्य से भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं होता है। अतः अभियोजन का मामला प्रारंभिक रूप से स्थापित ही नहीं हुआ है।

26– उपरोक्त विवेचना एवं साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर अभियुक्तगण मदन एवं करमसिंह के विरूद्ध अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्त मदन को युक्तियुक्त संदेह का लाभ देते हुये धारा 363, 366–ए, 376 (1), 376(2)(एन) भा.दं.सं. तथा धारा 3/4 एवं 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से तथा अभियुक्त करमसिंह को धारा 363, 366–ए सहपठित धारा 109 भा.दं.सं. तथा धारा 16 सहपठित धारा 17 व 18 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

27– अभियुक्त करमसिंह जमानत पर स्वतंत्र है। अतः उसके जमानत व मुचलके (धारा 437–क दण्ड प्रकिया संहिता को छोड़कर) भारमुक्त किये जाते हैं।

28– अभियुक्त मदन न्यायिक अभिरक्षा में है।

29– अभियुक्तगण के निरोध अवधि प्रमाण पत्र धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत पृथक से दो–दो प्रतियों में निर्मित किये जावे।

30– प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.13 एम.डी. 4885 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। किसी अन्य ने दावा नहीं किया है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि

पश्चात् अपील नहीं होने की दशा में सुपुर्दगीदार के पक्ष में भारहीन समझा जावे। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

31— प्रकरण में जप्तशुदा आर्टिकल अंडरवियर, वेजाईनल स्लाईड, सीमन स्लाईड, प्यूबिक हेयर अपील अवधि पश्चात् अपील नहीं होने की दशा में नष्ट किये जावे। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

32— प्रकरण में अभियोक्त्री की कक्षा आठ की मूल अंकसूची जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—04 के अनुसार जप्त की गई है। अतः उक्त मूल अंकसूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किये जाने पर मूल अंकसूची पुनः अभियोक्त्री को लौटाई जावे।

33— निर्णय की एक प्रति सूचनार्थ अनन्यतः विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी, धार की ओर विधिवत् प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित, करके घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही/—
(अजय रामावत)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
कुक्षी, जिला—धार (म.प्र.)

सही/—
(अजय रामावत)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
कुक्षी, जिला—धार (म.प्र.)